समाचार पत्रों की कतरनें

जून 2024

अमर उजाला, दिनांक 07 जून 2024
पेज न0–07, कालम–7,8

चार दर्जन वाहनों के काटे चालान

संवाद न्यूज एजेंसी

नालागढ़ व हेड क्वार्टर की फ्लाइंग टीम ने की कार्रवाई

बद्दी(सोलन)। आरटीओ नालागढ़ मदन शर्मा ने नालागढ़ भरतगढ़ मार्ग का औचक निरीक्षण कर 60 वाहनों की जांच कर 22 वाहनों के चालान किए। वहीं बिना परमिट के एक वाहन को सीज भी कर दिया।

आरटीओ ने नालागढ़, दभोटा, भरतगढ़ व झाड़माजरी में नाकेबंदी की और अवैध रूप से चल रहे वाहनों की धर पकड़ की। उन्होंने 22 वाहनों की चालान किए और बिना परमिट के चल रहे एक वाहन को सीज किया। वहीं शिमला से आई हेड क्वार्टर फ्लाइंग ने बद्दी सिक्का होटल व बरोटीवाला में नाके लगा कर वाहनों की जांच की। जांच के दौरान उन्होंने 100 वाहनों की जांच की। अधूरे कागजात पाए जाने पर 26 वाहनों की चालान किए। उन्होंने बिना परमिट के चलते दो वाहनों को सीज कर दिया।

> आरटीओ मदन शर्मा ने बताया कि उन्होंने रूटीन में जांच की और जांच में 22 वाहनों के चालान किए और एक वाहन को सीज किया। वहीं शिमला से आई फ्लाइंग टीम ने दो दर्जन से अधिक वाहनों के चालान किए और दो वाहनों को सीज कर दिया है।

दिव्य हिमाचल, दिनांक—10.जून 2024
पेज न0—02, कालम—5,6,7

अनट्रेंड ड्राइवरों और नशे से बढ़ रहे हादसे

प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस ने किया सड़क दुर्घटनाओं का सर्वेक्षण

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला

हिमाचल के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर यातायात, पर्यटक एवं रेलवे इकाई ने शिमला और किन्नौर जिलों के दूरदराज के क्षेत्रों में सड़क यातायात दुर्घटनाओं के बारे में एक सर्वेक्षण किया। शिमला में यातायात, पर्यटक और रेलवे इकाई के अतिरिक्त एसपी नरवीर सिंह राठौड़ ने शिमला जिला के रामपुर तहसील और किन्नौर जिला के सांगला-छितकुल क्षेत्र का दौरा किया। एएसपी नरवीर राठौड़ ने सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों की पहचान करने के लिए स्थानीय टैक्सी चालकों, भारी वाहन चालकों और निजी वाहन चालकों से बातचीत की। सर्वेक्षण में पाया गया कि दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में पाया गया है कि कई पर्यटक टैक्सी और मोटरसाइकिल सहित अपने स्वयं के वाहनों में इन क्षेत्रों का दौरा करते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग के अनुभव की कमी होती है। इससे संकीर्ण और अंधे मोड़ों पर चलते हुए चुनौतियां पैदा होती हैं। इन क्षेत्रों में ड्राइवरों के बीच शराब के सेवन की उच्च दर देखी गई। सर्वेक्षण में दुर्घटनाओं के अन्य महत्त्वपूर्ण कारणों का भी विश्लेषण किया गया। पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश अतुल वर्मा के निर्देशों के आधार पर, यातायात, पर्यटक और रेलवे इकाई ने मनाली-रोहतांग और अटल सुरंग क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कुल्लू जिला में सडक यातायात दुर्घटनाओं पर एक सर्वेक्षण किया। कांगड़ा में राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर संदीप ने इन क्षेत्रों का दौरा किया और ड्रोन कैमरे का उपयोग करके यातायात भीड़ का सर्वेक्षण किया। शिमला में यातायात, पर्यटक और रेलवे इकाई ने ड्रोन फुटेज का विश्लेषण किया और कुल्लू जिला के क्षेत्र में कार्य कर रहे अधिकारियों को सलाह जारी की गई है।

हिमाचल दस्तक, दिनांक—10 जून 2024
पेज न0—14, कालम—1,2,3

पुलिस ने बिंद्रावणी फोरलेन पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किया लागू

हिमाचल दस्तक ■ मंडी

जिला पुलिस ने मंडी-मनाली फोरलेन पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने, अपराधों की रोकथाम तथा यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर नकेल कसने के लिए बिंद्रावनी में फोरलेन पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू कर दिया है। फोरलेन पर इस सिस्टम के लागू हो जाने से वाहन चालकों को अब सावधानीपूर्वक अपने-अपने वाहन चलाने होंगे अन्यथा उन पर पुलिस पूरी नजर रखेगी और ऑनलाइन चालान भी करेगी। अधिकतम स्पीड को लेकर सबसे ज्यादा समस्याएं इस वक्त फोरलेन पर आ रही हैं। इस कारण यातायात में ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं लिहाजा स्पीड को नियंत्रित करने के लिए पुलिस विभाग का यह कदम बेहद सराहनीय है।

■ नियमों की अवहेलना करने पर ऑनलाइन होंगे चालान

इससे कम से कम वाहन चालकों को अपनी स्पीड पर नियंत्रण रखना होगा अन्यथा उनका चालान हो जाएगा। पुलिस का दावा है कि बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, गति सीमा से तेज वाहन चलाने वालों पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी तथा उनका चालान किया जाएगा। यह सिस्टम अवश्य ही दुर्घटनाओं में कमी लाएगा, क्योंकि फोरलेन पर सबसे ज्यादा ओवर स्पीड के कारण ही ज्यादातर दुर्घटनाएं हो रही हैं, इन पर नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है। यह सिस्टम इसमें अवश्य ही कामयाब होगा। हालांकि पुलिस ने नेरचौक से लेकर किरतपुर तक पहले ही इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को कुछ जगहों पर लगा रखा है। वहीं पर भी ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं।

एसएमएस से मिलेगी ऑनलाइन चालान की सूचना

ऑनलाइन चालान की सूचना अवहेलना करने वाले व्यक्ति को एसएमएस द्वारा दी जाएगी। चालान का भुगतान 15 दिन के भीतर ऑनलाइन या पुलिस थाना सदर बिंद्रावणी आईटीएमएस में किया जा सकता है। उसके पश्चात चालान को संबंधित न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा।

> फोरलेन पर यातायात नियमों की अवहेलना पर वाहन चालकों के ऑनलाइन चालान होंगे। ट्रैफिक इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम को लागू कर दिया गया है। मंडी पुलिस आप सभी से यातायात नियमों की पालना करने की अपेक्षा करती है।
>
> - सागर चंद्र, एएसपी, मंडी।

हिमाचल दस्तक, दिनांक.15.06.2024
पेज न0—8, कालम—5,6,7

बिना दस्तावेज चल रहे 6 वाहन जब्त

बीबीएन में आरटीओ की टीम ने की 450 गाड़ियों की जांच

हिमाचल दस्तक ब्यूरो। बीबीएन

रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसते हुए जहां उनके चालान काटकर मौके पर ही जुर्माना वसूल किया है, वहीं बिना दस्तावेज के चल रहे 6 एलएमवी कमर्शियल वाहनों को इंपाउंड किया। आरटीओ बद्दी कृष्ण चंद सुमन की अगुआई वाली टीम ने तीन दिन चले अभियान के तहत 450 वाहनों की जांच की और 55 वाहनों के चालान काटकर 2.10 लाख रुपये जुर्माना वसूला है, जबकि 3 लाख के करीब पेंडिंग बताया जा रहा है। इस दौरान चालकों को हेलमेट पहनने को लेकर भी जागरूक किया गया। टीम में विभाग के जीवन चौधरी, संदीप शर्मा आदि शामिल रहे। जानकारी के अनुसार आरटीओ के नेतृत्व वाली टीम ने कार्रवाई के दौरान अनियमितताएं पाए जाने और दस्तावेजों की कमी सहित यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा और उनके चालान काटकर मौके पर ही जुर्माना वसूल किया है। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के अलग-अलग हिस्सों में टीम ने वाहनों पर शिकंजा कसा और कई वाहनों के दस्तावेजों में खामियां पाईं।

- **यातायात नियमों की अवहेलना पर कसा शिकंजा**
- **हेलमेट व पीयूसी को लेकर किया जागरूक**

55 चालान काटकर वसूला 2.10 लाख रुपये जुर्माना

टीम ने यातायात नियमों को धत्ता बताने वाले चालकों सहित वाहनों के बिना परमिट, वर्दी, पीयूसी, अपूर्ण दस्तावेज, ओवरलोडिंग आदि के खिलाफ कार्रवाई की व अनियमितताएं पाए जाने पर 55 वाहनों के चालान काटे और मौके पर 2.10 लाख रुपये जुर्माना वसूला। इस दौरान टीम ने बिना दस्तावेज 6 वाहनों को जब्त कर लिया है।

> बीबीएन में कार्रवाई के दौरान जांच किए गए 450 वाहनों में से 55 के चालान काटकर मौके पर 2.10 लाख रुपये जुर्माना वसूला है। वहीं छह वाहनों को जब्त किया गया है, जबकि 3 लाख के करीब जुर्माना पेंडिंग है। वाहन चालकों सहित ट्रांसपोर्टरों से आग्रह है कि वे अपने वाहनों के दस्तावेज पूर्ण रखें और यातायात नियमों की अनुपालना करें। अन्यथा विभाग यातायात नियमों को धत्ता बताने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगा।
>
> **- कृष्ण चंद सुमन**
> **आरटीओ, बद्दी।**

पंजाब केसरी, दिनांक 26.जून 2024
पेज0 न0—03, कालम—1,2,3,4

अब ड्राइविंग लाइसैंस व वाहन पासिंग टैस्ट से आधा घंटा पहले लगेगी सड़क सुरक्षा पर क्लास

परिवहन निदेशक ने सभी अधिकारियों को जारी किए दिशा-निर्देश, सड़क सुरक्षा व सड़कों पर किन कारणों से हो रहे हादसे, लोगों को दी जाएगी जानकारी

शिमला : सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ परिवहन विभाग की बैठक में मौजूद परिवहन निदेशक व अन्य अधिकारी। (नरेश)

शिमला, 25 जून (राजेश): हिमाचल के सभी जिलों में अब ड्राइविंग लाइसैंस व वाहन पासिंग टैस्ट से आधा घंटा पहले वाहन चालकों व मालिकों की सड़क सुरक्षा की क्लास लगेगी। इस संबंध में परिवहन निदेशक डी.सी. नेगी सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के तहत पासिंग व टैस्ट से पहले वाहन चालकों व मालिकों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा। वहीं ये भी जानकारी दी जाएगी कि सड़कों पर किन कारणों से अधिक हादसे हो रहे हैं। वहीं नियमों के बारे में भी बताया जाएगा। यह दिशा-निर्देश परिवहन निदेशक ने सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा विभाग में कार्यरत सभी सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षक, मोटर वाहन निरीक्षक व ट्रैफिक निरीक्षकों को सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में अवगत करवाने व आम जनता को इनके माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान दिए।

बैठक में लगभग 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

गुड स्मार्टियन योजना के बारे में भी चर्चा : बैठक में गुड स्मार्टियन के कर्त्तव्यों व अधिकारों व स्कीम बारे, सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर समीक्षा व जागरूकता व इंटीग्रेटिड रोड एक्सीडैंट डेटाबेस पर विभागों के कर्त्तव्यों व सुचारू रूप से संचालन ट्रामा केयर व स्टेकहोल्डर डिपार्टमैंट द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे अवगत करवाया गया।

ट्रैफिक इंस्पैक्टरों को निर्देश चैकिंग पर दें जोर : बैठक के दौरान परिवहन निदेशक ने प्रदेश के सभी ट्रैफिक इंस्पैक्टर को वाहनों की ज्यादा से ज्यादा चैकिंग पर जोर दिया ताकि भविष्य में चैकिंग की समीक्षा की जा सके। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त परिवहन सड़क सुरक्षा एस.डी., नेगी ने विभाग व सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा किए जा रहे कार्यों, भविष्य योजनाओं व बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम बारे विस्तृत जानकारी दी। बैठक में नरेश ठाकुर सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण, डा. विवेक चौहान सहित सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग के विभिन्न अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

दिव्य हिमाचल , दिनांक—27 जून 2024
पेज न0—2, कालम—3,4,5,6,7

युवाओं को मिलेंगे 3600 बस-टैक्सी परमिट

स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने लिया फैसला

- प्रदेश में नई टैक्सियां-मैक्सी कैब कांट्रैक्ट बसें चलेंगी
- ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में संशोधन के लिए सरकार को भेजा जाएगा मामला

चीफ रिपोर्टर — शिमला

हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नई टैक्सी, मैक्सी कैब व कांट्रैक्ट बसें चलाने के लिए 3600 परमिट जारी करने पर फैसला हो गया है। बुधवार को प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंगलवार शाम तक आए सभी आवेदनों को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को सचिवालय में इसके लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक हुई, जिसमें ट्रांसपोर्ट पालिसी में कुछ संशोधन करने का भी निर्णय हुआ, लेकिन इसके लिए मामला सरकार को भेजा जाएगा। सरकार, परिवहन विभाग के सुझावों पर निर्णय लेगी। इस बैठक में परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी समेत दूसरे अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार कुल 3600 परमिट की डिमांड परिवहन विभाग के पास पहुंची थी, जिसमें से मोटर कैब यानी टैक्सी के लिए काफी ज्यादा संख्या में आवेदन थे। टैक्सी चार जमा एक सीटर के लिए 1313 नए परमिट जारी करने का निर्णय लिया गया है, जबकि पांच जमा एक सीटर के 13 आवेदनों को भी हरी झंडी दे दी गई है। इसी तरह से छह जमा एक सीटर टैक्सी के लिए करीब 1000 से ज्यादा आवेदन थे, जिनको भी मंजूर कर लिया गया है। इसी तरह से एचपी-02 नंबर वाली कांट्रैक्ट कैरिज की बसों के लिए 109 आवेदन एसटीए के पास आए थे, जिनको भी मंजूर कर लिया गया है। वहीं, एचपी-01 सीरिज की 266 बसों के परमिट मंजूर कर दिए गए हैं। इनके अलावा मैक्सी कैब के 637 आवेदन स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास आए थे, जिनको भी अथॉरिटी ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। कुल मिलाकर ये 3600 के करीब आवेदन बनते हैं, जिनको एसटीए ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। सूत्रों के अनुसार ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में कुछ आंतरिक मसलों पर भी चर्चा की गई है और मामला सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया है। कुछ मामले ट्रांसपोर्ट पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, जिनमें फ्लीट स्ट्रैंथ बढ़ाने का एक मामला भी सामने आया है। इसमें सरकार से पूछा है कि बसों की फ्लीट बढ़ाई जाए या फिर नहीं। इसके कारण भी बताए गए हैं।

बस अड्डा मैनेजमेंट की बैठक

स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के कुछ पुराने मामलों में भी संशोधन किया जाना है। अभी शुक्रवार को बस अड्डा मैनेजमेंट की बैठक में भी कई बड़े निर्णय लिए जाने हैं। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे और नए बस अड्डों को लेकर यहां निर्णय होगा।

दिव्य हिमाचल , दिनांक–27 जून 2024
पेज न0–4, कालम–6,7,8

हिमाचल की सड़कों से ब्लैक स्पॉट खत्म, कम होंगे हादसे

सरकार ने रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट कमेटी को भेजी

- तीन साल बाद होता है सर्वे नई सूची का इंतजार
- राज्य में 147 ब्लैक स्पॉट थे चिन्हित, पूरा हुआ काम

शकील कुरैशी-शिमला

हिमाचल प्रदेश की सर्पीली सड़कों पर सालों से हादसों का कारण बने ब्लैक स्पॉट खत्म हो गए हैं। इन पर जो काम जिस एजेंसी ने करवाना था वो कर दिया है और इन ब्लैक स्पॉट को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। हिमाचल सरकार की ओर से इस तरह की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की संबंधित कमेटी को भेज दी गई है,जो आने वाले दिनों में ब्लैक स्पॉट की नई सूची हिमाचल प्रदेश को भेजेगी। फिलहाल पुराने ब्लैक स्पॉट खत्म हो गए हैं और अब नए बन चुके ब्लैक स्पॉट पर भविष्य में काम होगा। सूत्रों के अनुसार हिमाचल परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा सैल की ओर से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को हाल ही में रिपोर्ट भेजी गई है,जो कि अहम है। हर तीन साल के बाद यह रिपोर्ट इस कमेटी को जाती है और वहां से नए ब्लैक स्पॉट की नई सूची राज्यों को भेजी जाती है। फिर उसपर आगे काम होता है। ऐसे में वर्तमान में जो ब्लैक स्पॉट यहां पर चिन्हित थे उनको पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया है और इसकी सूचना भेज दी गई है। बताया जाता है कि केंद्रीय भूतल परिवहन एवं सड़क मंत्रालय ब्लैक स्पॉट चिन्हित करता है। प्रदेश में उन्होंने वर्ष 2018-19 में 147 ब्लैक स्पॉट की सूची प्रदेश को भेजी थी। इसमें लोक निर्माण विभाग के तहत आने वाली सड़कों के ब्लैक स्पॉट थे तो वहीं नेशनल हाई-वे अथॉरिटी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तथा भूतल परिवहन मंत्रालय की सड़कें हैं। वैसे केंद्रीय मंत्रालय को तीन साल बाद नई सूची भेजनी थी, लेकिन अभी तक इस सूची का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले वह राज्य से मिलने वाली रिपोर्ट का इंतजार करते हैं और अब परिवहन विभाग ने यह रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रालय के साथ सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा मॉनिटरिंग कमेटी को जाती है। उनके द्वारा ही सड़क सुरक्षा पर सभी तरह के निर्देश राज्यों को दिए जाते हैं और उन पर राज्य सरकार अमल करती है। -एचडीएम

ऐसे तय होता है ब्लैक स्पॉट

ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने की परिभाषा को देखें तो सड़क के 500 मीटर के स्ट्रेच में तीन साल में पांच दुर्घटनाएं हों या फिर तीन साल में दस लोगों की मौत उसी स्थान पर हो तो उसे ब्लैक स्पॉट माना जाता है। इस स्थान की पूरी पड़ताल के बाद इसे किस तरह से दुरुस्त किया जाना है यह देखा जाता है। वहां देखा जाता है कि आखिर दुर्घटना का कारण क्या हो रहा है।

909 किलोमीटर लंबी सड़कों पर क्रैश बैरियर

प्रदेश में वाहनों के योग्य सड़कों की दूरी 41 हजार किलोमीटर की मानी जाती है। इन सड़कों पर बड़े व छोटे वाहन चलते हैं। हैरानी की बात है कि हिमाचल प्रदेश जैसे कठिन भौगोलिक एरिया वाले राज्य जिसकी सड़कें पहाड़ को काट कर बनाई गई है में अब तक 909 किलोमीटर सड़कों ही क्रैश बैरियर लगाए जा सके हैं। क्रैश बैरियर सड़क सुरक्षा के लिए बेहद ज्यादा जरूरी माने जाते हैं मगर हिमाचल की सभी सड़कों के लिए इतने क्रैश बैरियर लगाने को बेहद ज्यादा पैसा चाहिए। वैसे सरकार ने पैराफिट लगाए है मगर उनसे उतना अधिक बचाव नहीं हो पाता। बहुत सी ऐसी सड़कें है, जहां न तो क्रैश बैरियर है और न ही पैराफिट है, जो 147 ब्लैक स्पॉट थे और अब उनको ठीक कर दिया है मे लोक निर्माण की सड़कों पर 71, एनएच शिमला की सड़कों पर 69, एनएच चंडीगढ़ की सड़कों पर तीन, बीआरओ की सड़क पर एक, परिवहन मंत्रालय की सड़कों पर पांवटा में तीन ब्लैक स्पॉट चिन्हित थे। अब इनको पूरी तरह से ठीक करने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट कमेटी को भेज दी गई है।